पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर

सं0 का/यू0एम0आई0डी0/गोर0/2019/चार

दिनांक 01.05.2019

सचिव/महाप्रबंधक, सचिव/अपर महाप्रबंधक,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, सभी मुख्य कारखाना प्रबंधक,
मण्डल रेल प्रबंधक/वाराणसी/इज्जतनगर/लखनऊ,
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, उप महाप्रबधक/सामान्य,
वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी, वाराणसी/इज्जतनगर/लखनऊ,
काकाधि/यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर,
मंकाधि/यांत्रिक कारखाना/इज्जतनगर,
काकाधि/सिगनल एवं पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी,
सभी कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय एवं अतिरिक्त इकाई,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः— UMID (Unique Medical Identity Card) के संबंध में।
संदर्भः— SCR का पत्र संख्या SCR/P/HQ/765/IT/UMID दिनांक 18.03.2018.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के आलोक में अवगत कराया जाता है कि रेलवे बोर्ड ने रेल के समस्त कार्यरत कर्मचारियों, सेवा–निवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का नया मेडिकल कार्ड बनवाने के दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा मेडिकल कार्ड बनाने हेतु umid.digitalir.in नामक पोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को उक्त पोर्टल पर स्वयं के द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा एवं तत्पश्चात् अपना विवरण स्वयं ऑनलाईन भरना होगा।

चूंकि पूर्व में कर्मचारियों का मेडिकल कार्ड बनाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती थी, इसलिए वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी को मेडिकल कार्ड बनाने हेतु पोर्टल में अपना डाटा फीड करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो संबंधित विभाग द्वारा मेडिकल कार्ड बनाने हेतु ऑनलाईन डाटा फीड करने में कर्मचारियों की सहायता की जाय।

सेवा–निवृत्त कर्मचारियों को भी स्वयं ही अपना डाटा उपरोक्त संदर्भित पोर्टल पर अपलोड करना है। यदि भूतपूर्व कर्मचारी को डाटा अपलोड करने में कोई कठिनाई आती है तो इसके लिए हर एक यूनिट में कार्मिक विभाग उनकी मदद करने हेतु एक सेल स्थापित करे।

सभी विभागों के वे कर्मचारी जो मेडिकल कार्ड बनाने हेतु डाटा अपलोड करने में अपने विभाग के कर्मचारियों की सहायता करेंगे, को प्रशिक्षण कार्मिक विभाग द्वारा दिया जाएगा।

उपरोक्त मेडिकल कार्ड बनाने हेतु डाटा अपलोड करने से पहले कुछ जरूरी कागजात को डिजीडलाईज्ड रूप में कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने पास रखना होगा, जिसका विवरण संलग्न किया जा रहा है।

..........2

Scanned with CamScanner

मेडीकल कार्ड बनाने की इस प्रक्रिया को 02 माह में पूर्ण करना है। अतः सभी प्रमुख विभागध्यक्ष, मण्डल रेल प्रबंधक, मुख्य कारखाना प्रबंधक एवं अतिरिक्त यूनिट के अध्यक्षों से अनुरोध है कि वह अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड बनवाने हेतु ऑनलाईन डाटा भरने हेतु प्रेरित करें ताकि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा में सभी का मेडिकल कार्ड बन सकें।

उपरोक्त पर अपर महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक– मेडिकल कार्ड बनाने हेतु Flow Chart.
(Digitalized documents का विवरण)

01/5/19

(सनत जैन)
उपमुकाधि/अराज0
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महामंत्री/नरमू, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. अजा/अजजा/ओ0बी0सी0 एसोसियेशन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
3. पेंशनर्स एसोसियेशन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. आर0पी0एफ0 एसोसियेशन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

01/5/19

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

Scanned with CamScanner

पहला चरण – सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों (पेंशनरों) के लिए – पंजीकरण हेतु

1. सबसे पहले वेब साईट umid.digitalir.in खोलेंगे

2. Login पर जाएं एवं सर्वप्रथम Register बटन दबायें

3. Register दबाने पर दो विकल्प आएंगे – Employee एवं Pensioner

4. Pensioner पर क्लिक करें एवं आगे बढ़ें

5. रजिस्टर करने के लिए सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी/पेंशनर को सातवें वेतन आयोग द्वारा जारी पीपीओ नं0, सेवानिवृत्त कर्मचारी का जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति तिथि दर्ज करना होगा एवं तत्पश्चात् Validate Details बटन दबाना होगा

6. बटन दबाते हीं सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम दर्शायेगा एवं मोबाईल नं दर्ज कर OTP (One Time Password) के लिए मांग करना होगा, OTP प्राप्त होते हीं उसे दर्ज करना होगा जिसके पश्चात् सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को अपना पासवर्ड बनाना पडेगा तथा पासवर्ड बनाने के उपरान्त सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकृत हो जाएगा

दूसरा चरण – सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए – मेडिकल कार्ड हेतु आवेदन

1. वेब साईट पर जाकर Login टैब पर जाकर Login बटन पर क्लिक करें तद्उपरान्त यूजर आई.डी. के रूप में अपना पीपीओ नं0 दर्ज करना होगा एवं उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पासवर्ड दर्ज करना होगा ।

2. Login के पश्चात् बाएं तरफ Initiate Application पर क्लिक करना होगा जिसके उपरान्त वेब साईट पर अंकित दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशनर अपना एवं अपने आश्रितों का डाटा फीड करना होगा ।

4. मेडिकल कार्ड बनने के उपरान्त उसे वेब साईट पर देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर प्रिन्ट भी लिया जा सकता है

<u>नोट</u> : आवेदन Initiate/Feed करने से पूर्व पेंशनर निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन कर JPG/JPEG फार्मेट में अपने पास रखें जिनकी आवश्यकता पेंशनर को अपना आवेदन भरते समय अपलोड करने हेतु पड़ेगी –

* स्वयं का फोटो, RELHS मेडिकल कार्ड, हस्ताक्षर ।

* आश्रितों का फोटो एवं सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान–पत्र ।

* सामान्य आश्रितों के अतिरिक्त यदि कोई आश्रित है तो उसके पहचान के लिए Initiate Application बटन क्लिक करते ही एक दस्तावेजों की सूची प्रदर्शित होती है उसके अनुरूप दर्शाया गये वांछित दस्तावेज एवं फोटो ।

~~~~~~~~~~~~~~~

20/5/19

Scanned with CamScanner
~~~~~~~~~~~~~~~

पहला चरण – सेवारत कर्मचारियों के लिए – पंजीकरण हेतु

1. सबसे पहले वेब साईट umid.digitalir.in खोलेंगे
2. Login पर जाएं एवं सर्वप्रथम Register बटन दबायें
3. Register दबाने पर दो विकल्प आएंगे – Employee एवं Pensioner
4. Employee पर क्लिक करें एवं आगे बढ़ें
5. रजिस्टर करने के लिए कर्मचारी को अपना पीएफ/एनपीयस नं0 (11 अंकों का), पैन नं0 एवं जन्म तिथि दर्ज करना होगा एवं तत्पश्चात् Validate Details बटन दबाना होगा
6. बटन दबाते हीं कर्मचारी का नाम दर्शायेगा एवं मोबाईल नं दर्ज कर OTP (One Time Password) के लिए मांग करना होगा, OTP प्राप्त होते हीं उसे दर्ज करना होगा जिसके पश्चात् कर्मचारी को अपना पासवर्ड बनाना पडेगा तथा पासवर्ड बनाने के उपरान्त कर्मचारी उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकृत हो जाएगा ।

दूसरा चरण – सेवारत कर्मचारियों के लिए – मेडिकल कार्ड हेतु आवेदन

1. वेब साईट पर जाकर Login टैब पर जाकर Login बटन पर क्लिक करें तद्उपरान्त यूजर आई.डी. के रूप में अपना पीएफ/एनपीयस नं0 दर्ज करना होगा एवं उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पासवर्ड दर्ज करना होगा ।
2. Login के पश्चात् बाएं तरफ Initiate Application पर क्लिक करना होगा जिसके उपरान्त वेब साईट पर अंकित दिशानिर्देशों के अनुसार अपना एवं अपने आश्रितों का डाटा फीड करना होगा ।
3. कर्मचारी द्वारा अपना एवं आश्रितों का डाटा फीड करने के बाद आवेदन Submit करना होगा जिसके कुछ कार्यदिवसों उपरान्त कर्मचारी एवं आश्रितों का मेडिकल कार्ड बन जाएगा ।
4. मेडिकल कार्ड बनने के उपरान्त उसे वेब साईट पर देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर प्रिन्ट भी लिया जा सकता है

नोट : आवेदन Initiate/Feed करने से पूर्व कर्मचारी निम्नलिखित दस्तावेजों स्कैन कर JPG/JPEG फार्मेट में अपने पास रखे जिनकी आवश्यकता कर्मचारियों को अपना आवेदन भरते समय अपलोड करने हेतु पड़ेगी –

* स्वयं का फोटो, पुराना मेडिकल कार्ड/अधिकारी द्वारा अग्रसारित पास घोषणा–पत्र/पहचान पत्र, हस्ताक्षर ।

* आश्रितों का फोटो एवं सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान–पत्र ।

* सामान्य आश्रितों के अतिरिक्त यदि कोई आश्रित है तो उसके पहचान के लिए Initiate Application बटन क्लिक करते ही एक दस्तावेजों की सूची प्रदर्शित होती है उसके अनुरूप दर्शाया गये वांछित दस्तावेज एवं फोटो ।

~~~~~~~~~~~~~~

01/5/19

Scanned with CamScanner
~~~~~~~~~~~~~~